न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 17/2018 (2018/00033)

तारीख दायरा—25.07.2018

तारीख निर्णय—18.01.2021

उनवान

1. श्री सुमेर सिंह पिता केसर सिह राजपूत उम्र वयस्क निवासी ढिकोडा तहसील गोगुन्दा।

........प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

...........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड़ रेवन्यू एक्ट

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से— श्री चेतन वैष्णव

अप्रार्थी की ओर से— पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के आधिपत्य एवं मिलकियत की कृषि भूमि मौजा ढिकोडा तहसील गोगुन्दा में स्थित है। मौजा ढिकोडा पटवार हल्का दियाण तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2071 से 74 के खाता संख्या 220,221,222 एवं 385 एवं मौजा कोविया पटवार हल्का दियाण की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 67 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम शम्भुसिंह दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम सुमेर सिंह पिता केसर सिह है। लिपिकिय गलती से उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम शम्भूसिंह अंकित कर दिया है, जिसे राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम शम्भूसिह के बजाय सुमेर सिंह पिता केसर सिंह अंकित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ढिकोडा पटवार हल्का दियाण तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2071 से 74 के खाता संख्या 220,221,222 एवं 385 एवं मौजा कोविया पटवार हल्का दियाण की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 67 में शम्भूसिंह के बजाय सुमेर सिंह पिता केसर सिंह दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। पटवारी हल्का दियाण द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि खातेदार शम्भूसिंह का वास्तविक नाम सुमेर सिंह पिता केसर सिंह है तथा वर्तमान जमाबन्दी के वादग्रस्त खाते में प्रार्थी का नाम शम्भूसिह दर्ज है। अतः प्रार्थी का नाम शम्भूसिंह के बजाय सुमेर सिंह पिता केसर सिंह दर्ज किया जाना उचित है। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:56 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि मौजा ढिकोडा पटवार हल्का दियाण तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2071 से 74 के खाता संख्या 220,221,222 एवं 385 एवं मौजा कोविया पटवार हल्का दियाण की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 67 में वर्णित आराजियात में प्रार्थी का नाम शम्भूसिंह दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

सुमेर सिंह पिता केसर सिंह है। अतः अपनी बहस के अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त खातों में शम्भूसिंह के बजाय सुमेर सिंह पिता केसर सिंह दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त खातो में प्रार्थी का नाम शम्भूसिंह पिता केसर सिंह दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा ढिकोडा पटवार हल्का दियाण तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2071 से 74 के खाता संख्या 220,221,222 एवं 385 एवं मौजा कोविया पटवार हल्का दियाण की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 67 में प्रार्थी का नाम शम्भूसिह पिता केसरसिंह के बजाय सुमेर सिंह पिता केसर सिह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। एतद्नुसार पालना हेतु तहसीलदार गोगुन्दा निर्णय की प्रति भेजी जाकर लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:56 IST
Reason: SelfAttested